संख्या– 5381 / III(2) / 12–18(प्रा.आ.) / 2009

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 02 नवम्बर, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट– घांघरिया–हेमकुण्ड साहिब एवं घांघरिया–फूलों की घाटी 22.00 किमी0 पैदल मार्ग के सुदृढ़ीकरण,रैन शेल्टर,म्यूलहट एवं गैगहट निर्माण सहित निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल के पत्र सं0–3241/07(156) यात0–पर्व0/2012 दिनांक 09.10.2012 एवं अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त,लोक निर्माण विभाग,गोपेश्वर के पत्र सं0–7432/54 यात0–07/2012 दिनांक 20.10.2012 द्वारा उपलब्ध कराया गया विस्तृत आगणन के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत **गोविन्दघाट–घांघरिया–हेमकुण्ड साहिब एवं घांघरिया–फूलों की घाटी पैदल मार्ग के सुदृढ़ीकरण,रैन शेल्टर,म्यूल हट एवं गैगहट निर्माण कार्य सहित आगणन लागत रू0 735.00** लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 666.69 लाख (रू0 छः करोड़ छियासठ लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु रूपये 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य कर लें, निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक अभियन्ता

10- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाला अनुबन्ध में निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

11- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण पूरा किया जायेगा । स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा ।

12- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

13- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय मे समय-2 पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा ।

14- यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

15- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2013 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

16- आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

17- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 1.00 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/xxvII/1(1)/2012 दिनांक 28 मार्च,2012 के अनुक्रम में,लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0-S1211220030 दिनांक 02 नवम्बर, द्वारा आपको आबंटित कोड सं0 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

19- इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नाने डाला जायेगा।

20. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-723/ XXVII(2) /2012 दिनांक 02 नवम्बर,2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या- 538/ /III(2)/11-18(प्रा.आ.)/2009तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी चमोली।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0 गोपेश्वर ।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर